



सुरक्षा विभाग की उपलब्धियां

2022 & 2023

1) रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम

आरपीएफ द्वारा नियमित रूप से रेलवे संपत्ति के खिलाफ अपराध में लिप्त अपराधियों के खिलाफ का छपे का आयोजन किया गया इस वजह से कोंकण रेलवे में रेलवे संपत्ति की चोरी नियंत्रण में है।

वर्ष 2022 के दौरान, रेसुब द्वारा RP(UP) एक्ट के तहत, 08 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 05 मामले को सुलझाया, 11 बाहरी लोगों की गिरफ्तारी कर रू.80,780/- की संपत्ति जप्त की गयी।

वर्ष 2023 के दौरान, रेसुब द्वारा RP(UP) एक्ट के तहत, 05 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 03 मामले को सुलझाया, 09 बाहरी लोगों की गिरफ्तारी कर रू.2,15,647/- की संपत्ति जप्त की गयी ।

2) रेल अधिनियम :

रेल अधिनियम विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों पर कार्यवाही की जाती है। ऐसे अभियान चलाकर यात्रियों को यात्रा को शान्तिपूर्ण करना सुनिश्चित किया जाता है ।

वर्ष 2022 में रेसुब द्वारा कुल 1162 व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रेलवे कोर्ट द्वारा कुल रू.12,51,850/- जुर्माना वसूल किया गया, जुर्माना नहीं भरने के कारण 09 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है ।

वर्ष 2023 में रेसुब द्वारा कुल 1173 व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रेलवे कोर्ट द्वारा कुल रू.11,96,800/- जुर्माना वसूल किया गया, जुर्माना नहीं भरने के कारण 07 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है ।

3) सिगरेट एवं तबांकू अधिनियम :

रेलवे तथा रेलवे परिसर में धूम्रपान की रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2022 में अभियोजन चलाया गया जिसके अंतर्गत अनाधिकृत रूप से धूम्रपान करते हुए सिगरेट एवं तबांकू अधिनियम (COTP एक्ट 2003) के विभिन्न धाराओं के तहत 441 मामले दर्ज किये गए तथा इसके अंतर्गत रु.88,200/- दंड स्वरूप लिए गए | तथा वर्ष 2023 में रे.सु.ब. द्वारा कुल 254 व्यक्तियों से कुल रु.50,800/- जुर्माना वसूल किया गया है।

4) लापता बच्चों को उनके परिवार / चाइल्ड हेल्प लाइन में सुपुर्दगी :

घर से भागे कई बच्चों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल एवं रेलवे परिसर बचाव करते हुए वर्ष 2022 में 107 बच्चों को तथा वर्ष 2023 में कुल 96 बच्चों को उनके माता-पिता/ चाइल्ड केयर, एन.जी.ओ. को सुपुर्द किया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किये गए इस कार्य हेतु गुमशदा बच्चों के माता, पिता एवं परिजन अत्यंत आभार व्यक्त किया एवं रेलवे सुरक्षा द्वारा किये गई तत्पर कार्यवाही की खूब प्रशंसा की गयी ।

5) अवैध शराब की जप्ती

गोवा में रेलवे द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक/केरल में शराब भेजी जाती है। इसकी रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तत्पर कार्यवाही करते हुए राज्य आबकारी विभाग के सहयोग से वर्ष 2022 में मूल्य रु.19,62,208/- की 8396 शराब की अवैध बोतलों को जब्त किया तथा 78 शराब के तस्करो को गिरफ्तार किया गया। तथा वर्ष 2023 मूल्य रु.4,90,041/- की शराब की 3596 अवैध बोतले एवं 36 शराब के तस्करो को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया ।

6) वाणिज्य विभाग को सहयोग :

बिना टिकट यात्रियों को रोकथाम हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा समय पर रेलवे सुरक्षा बल विभाग के सहयोग से मुहिम चलाई जाती है, इस मुहिम के अन्तर्गत वर्ष 2022 में 4501 व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया और रेलवे सुरक्षा बल विभाग के सहयोग से वाणिज्य विभाग द्वारा बिना टिकट व्यक्तियों को रु.34,51,135/- जुर्माना भरने के पश्चात रिहा किया गया। तथा वर्ष 2023 में 3440 व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया जिनसे 21,85,504/- रुपये जुर्माना वसूला गया ।

7) यात्री सामान की सुपुर्दगी

कोंकण रेल के रे.सु.ब. कर्मियों ने वर्ष 2022 में करीब 256 यात्रियों जिन्होंने अपना सामान और मूल्यवान वस्तुएं जिसमें बैग, मोबाइल फोन, कैमरे, लैपटॉप, इत्यादि गाडी से उतरते वक्त या प्लैटफॉर्म पर भूलवश छोड़ दी थी, जिनकी कुल कीमत करीब रु.71,62,233/- रुपये थी को सुरक्षित कब्जे में लेकर उक्त यात्रियों को सौंपा गया | तथा वर्ष 2023 में 268 यात्रियोंकी करीब रु.98,51,268/- रुपये की संपत्ति को सुरक्षित कब्जे में लेकर उक्त यात्रियों को सौंपा गया |

8) आरपीएफ द्वारा यात्री सामान की चोरी से संबंधित मामलों की खोज :

कोंकण रेलवे पर आरपीएफ की बहुत कम संख्या के बावजूद, आरपीएफ, रेलवे परिसर तथा रेल गाड़ियों की यात्रा के दौरान यात्री सामान की चोरी की घटनाओं को रोकने और पता लगाने के लिए बहुत सक्रियता से काम कर रही है |

वर्ष 2022 के दौरान रे.सु.ब.ने यात्री के सामान की चोरी के 10 मामले खोजे गए और यात्रियों की सामान और मूल्यवान वस्तुओं को रु.2,97,600/- रुपये के साथ 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की | वर्ष 2023 में 13 चोरी के मामले खोजे गए, जिनमें 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ रु.11,03,738/- रुपये की यात्री की संपत्ति बरामद की। सभी पकड़े हुए अभियुक्तों को आगे की कानूनी कार्यवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपा गया |